कार्यालयः—न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बेमेतरा (छ0ग0)

Email-Id :- fcbemetara.cg@indiancourts.nic.in

—::ज्ञापन::—

क्रमांक 176 / दो—12—1 / 2017 बेमेतरा, दिनांक 14.06.2023

प्रति,

1. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर / रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / कोरबा / धमतरी / जशपुर / रायगढ़ / जांजगीर—चांपा / कबीरधाम (कवर्धा) / जगदलपुर (बस्तर) / दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा / महासमुंद / उत्तर बस्तर कांकेर / बैकुण्ठपुर (कोरिया) / अम्बिकापुर (सरगुजा) / बालोद / सूरजपुर / बलौदाबाजार / कोण्डागांव / मुंगेली / बलरामपुर स्थान रामानुजगंज / बेमेतरा (छ.ग.)
2. प्रधान न्यायाधीश / न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय,
बिलासपुर / रायपुर / दुर्ग / राजनांदगांव / कोरबा / धमतरी / जशपुर / रायगढ़ / जांजगीर—चांपा / कबीरधाम(कवर्धा) / जगदलपुर(बस्तर) / महासमुंद / बलोदाबाजार / सूरजपुर / बालोद / कोण्डागांव / उत्तर बस्तर कांकेर / मनेन्द्रगढ़ जिला कोरिया / अम्बिकापुर (सरगुजा) / मुंगेली / दंतेवाड़ा (छ.ग.)
3. कलेक्टर,
बेमेतरा (छ.ग.)
4. जनसम्पर्क अधिकारी,
जिला कार्यालय, बेमेतरा (छ.ग.)
की ओर प्रकाशित विज्ञप्ति को स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला रोजगार अधिकारी, बेमेतरा (छ.ग.)
6. जिला विज्ञान एवं सूचना अधिकारी (एनआईसी)
बेमेतरा की ओर कलेक्ट्रेट, बेमेतरा (जिला कार्यालय) के वेबसाईट पर अपलोड किये जाने बाबत् प्रेषित।

विषय :— आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (माली—01 पद एवं वाटरमेन—01 पद) के रिक्त पदों के विज्ञापन को सूचना पटल पर चस्पा करने बाबत्।

—00—

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस स्थापना में रिक्त आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (माली—01 पद एवं वाटरमेन—01 पद इस प्रकार कुल 02 पद) के पद की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है। विज्ञापन की प्रति ई—मेल से प्रेषित किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि, प्रचार—प्रसार हेतु कृपया विज्ञापन की प्रति **download** कर अपने कार्यालय के सूचना पटल पर जनसामान्य के अवलोकनार्थ चस्पा करने का कष्ट करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

14/6/2023

अध्यक्ष,
चयन समिति,
कार्या.:—न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय
बेमेतरा (छ0ग0)

कार्यालयः– न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जिला बेमेतरा (छ0ग0)

–:सीधी भर्ती हेतु विज्ञापनः–

विज्ञापन कमांक–01/2023 बेमेतरा, दिनांक – 14/06/2023

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि – 10/07/2023 संध्या 5.00 बजे तक

कार्यालय कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.) स्थापना के अंतर्गत रिक्त पद आकस्मिकता निधि (कलेक्टर दर) पर वेतन पाने वाले कर्मचारी वाटरमेन एवं माली के निम्न पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिकों और भारत सरकार द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :–

1. रिक्त पदों का विवरण :–

रिक्त पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
		सामान्य				अनुसूचित जाति				अनुसूचति जनजाति				अन्य पिछड़ा वर्ग			
		मु.	म.	भू. पू. सै.	दि.	मु.	म.	भू. पू. सै.	दि.	मु.	म.	भू. पू. सै.	दि.	मु.	म.	भू. पू. सै.	दि.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
वाटरमेन	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
माली	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	**2**	**2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

संकेतक – मु.–मुक्त, **म.**–महिला, **भू.पू.सै.**– भूतर्पूव सैनिक, **दि.**–दिव्यांग

महत्वपूर्ण टीपः–

1– पदों की संख्या में किसी भी समय कमी अथवा वृद्धि की जा सकती है।

2– अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी के लिए आरक्षित है, अन्य राज्य के आरक्षित वर्ग के प्राप्त आवेदन अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत विचारित किये जायेंगे।

3– भर्ती कार्यवाही आरक्षण एवं रोस्टर के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के.एस.एल.पी. (सी) कमांक 19668/2022 में पारित अंतिम आदेश के अध्यधीन होगा।

4– परीक्षा तिथि में परिवर्तन करने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय बेमेतरा के पास सुरक्षित रहेगा।

2. भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :–

(अ) **वेतनमानः–** कलेक्टर बेमेतरा द्वारा निर्धारित दर पर।

(ब) **न्यूनतम शैक्षणिक अर्हताएं :–**

(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अथवा संस्था से कक्षा पॉचवी उत्तीर्ण होने का प्रमाण पत्र। (आठवी कक्षा से उच्च योग्यताधारी अभ्यर्थियों को पात्रता नहीं होगी)

(2) सेवा में कार्य करने हेतु तत्पर तथा आवेदित पद से संबंधित कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र। (यदि उपलब्ध हो तो संलग्न करें)

नोट :– शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों द्वारा जारी वाटरमेन, फर्राश, चौकीदार, माली, स्वीपर के कार्य का अनुभव हो तथा इसके अतिरिक्त ड्राईवर, कुक, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लबंर, हाउस कीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड के कार्य का अनुभव हो, तो आवेदन के साथ प्रमाण पत्र संलग्न करें। निजी व्यक्ति/निजी संस्थान द्वारा जारी अनुभव पत्र मान्य नहीं किया जावेगा।

टीप :– अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनकी योग्यता कक्षा आठवीं से अधिक नहीं है तथा यदि जांच में यह पाया जाता है कि उसने झूठा शपथ पत्र प्रस्तुत किया है तो उसकी पात्रता बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी एवं झूठा शपथ पत्र पेश करने का आपराधिक प्रकरण संस्थित किया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण :– यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी, कि वह आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर ले और अर्हताओं की सामान्य शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भेजें। परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर किसी भी अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उनकी उम्मीदवारी/चयन समाप्त की जाएगी। नियुक्ति पश्चात् जांच में किसी भी समय अनर्ह पाए जाने पर उनकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

3. आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(अ) आवेदक का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना चाहिए। (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)

(ब) कोई भी उम्मीदवार, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929 के अंतर्गत महिला अभ्यर्थी है तो 21 वर्ष से कम उम्र के पुरूष से विवाह करती है तथा यदि पुरूष अभ्यर्थी है तो वह 18 वर्ष से कम उम्र की महिला से विवाह करता है, तो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(स) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हो और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसका पहले से एक पति जीवित हो, नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा।

(द) आवेदक, किसी शासकीय या वैधानिक संस्था या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सेवा से पृथक अथवा पदच्युत करते हुए अयोग्य घोषित किया गया हो या उसे घोर कदाचार के लिए पदच्युत या सेवा समाप्त किया गया हो या सेवा से निकाला गया हो, वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

आयु सीमा :–

(1) प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिन्होंने दिनांक **01 जनवरी 2023** को 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, परंतु छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी अभ्यर्थी के उच्चतर आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष तक की छूट की अवधि बढ़ायी गयी है, जो कि कलेण्डर वर्ष 2023 की समाप्ति तक के लिए प्रदान की गई है, परंतु अधिकतम आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(2) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर अन्य राज्यों के उम्मीदवार/आवेदकों के लिए अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होगी। आयु संबंधी प्रमाण पत्र के लिए कक्षा पांचवीं के अंकसूची/प्रमाण पत्र, जिसमें जन्मतिथि का उल्लेख हो, मान्य होगा। उच्चतर आयु सीमा में छूट चाहने वाले अभ्यर्थी को संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रिमिलेयर) महिला इत्यादि के लिए अधिकतम आयु सीमा में राज्य शासन द्वारा जो छूट दी गई है, वह छूट यथावत् लागू रहेगी तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु के संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के आधार पर अभ्यर्थियों को आयु में दी जाने वाली सभी प्रकार के छूटों को सम्मिलित करने के बाद अधिकतम आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उच्चतम आयु सीमा में छूट :– निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगीः–

3 (एक) (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

छत्तीसगढ़ समाचार

3 (एक) (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–7–25–93/1 आ.प्र दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जावेगी, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को क्रिमिलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए।

3 (एक) (3)– छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीन्जेसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी, यही अधिकतम आयु परियोजना क्रियान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य रहेगी।

3 (एक) (4)– ऐसा अभ्यर्थी, जो छंटनी किया गया शासकीय सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष की कालावधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेगा, परंतु उसके परिणाम स्वरूप अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

स्पष्टीकरण :– छंटनी किये गये शासकीय सेवक से तात्पर्य है, जो राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम पंजीकृत कराये या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।

3 (एक) (5)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जावेग,ा किंतु उसके परिणाम स्वरूप जो योग निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक) (6)– महिलाओं के आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष से शिथिलनीय होगी, जो कि उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी।

3 (एक) (7)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2022/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जावेगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है, इसके लिए 6 माह से अधिक सेवा की अवधि 1 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी। जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे।

3 (एक) (8)– विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट रहेगी।

छत्तीसगढ़ समाचार

3 (एक) (9)– स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) नगर सेवा के नाम कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए दी जावेगी, किंतु किसी भी दशा में उनकी आयु 43 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3 (एक) (10)– संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर उतने वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी, जितना वर्ष उसने संविदा के रूप में सेवा की है, यह छूट अधिकतम 43 वर्ष की आयु सीमा तक होगी।

<u>नोटः–</u> **अधिकतम आयु सीमा में छूट के संबंध में सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

3 (एक) (11)– शारीरिक रूप से अक्षम सेवा योग्य (दृष्टिहीन, श्रवण बाधित तथा अस्थि बाधित के उम्मीदवारों) व्यक्तियों के लिए 10 वर्ष की छूट दी जाएगी।

3 (दो) (1)– आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपत्तियों के संवर्ण सहभागी को अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

<u>नोटः–</u> **आयु सीमा में छूट हेतु सब–डिवीजनल मजिस्ट्रेट/जिला मजिस्ट्रेट अथवा राज्य शासन के द्वारा प्राधिकृत अन्य सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।**

3 (दो) (2)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों एवं उत्कृष्ठ खिलाड़ियों एवं प्रचलित शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधूर सम्मान, महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक एफ–19–2/2005/1–3 दिनांक 01.12.2006 संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जावेगी।

टीपः– (1) बिंदू कमांक 2 (एक) में अधिकतम लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी।

(2) बिंदू कमांक 2 (दो) के अंतर्गत दी गई छूटों में यदि कोई अभ्यर्थी एक से अधिक छूटों का आधार रखता है, तो उसे आयु सीमा में सर्वाधिक (अधिकतम) लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए छूट मिलेगी। यह छूट बिंदू कमांक (एक) में दी गई विशेष छूट के अतिरिक्त होगी।

उदाहरणः– यदि कोई अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग विक्रम पुरस्कार प्राप्त धारक हो, तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 5 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार

वाली 5 वर्ष की छूट और दी जावेगी। अंतरजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जावेगी।

(3) उपरोक्त 2 (एक) और (दो) में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता तत्संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

4. <u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकियाः–</u>

1– **<u>आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पद हेतु :–</u>**

आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुये आवेदन पत्र **<u>दिनांक 10.07.2023 की संध्या 5:00 बजे तक</u>** बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से **आवेदित पद का नाम एवं आवेदक का वर्ग लिखा हो,** कार्यालय न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.), पिनकोड नं.:– 491335 के पते में **रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट** द्वारा भेजे जा सकते हैं। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। **दिनांक 10.07.2023 की संध्या 5:00 बजे** के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। डाक के विलम्ब के लिए आवेदक स्वंय जिम्मेदार रहेगा।

2– आवेदन के साथ जन्मतिथि के संबंध में प्रमाण–पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण–पत्र, जाति प्रमाण–पत्र, स्थाई निवास प्रमाण–पत्र, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र (शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थानों में कार्यरत शासकीय सेवकों को छोड़कर), दिव्यांगता प्रमाण–पत्र इत्यादि प्रमाण–पत्रों की **स्वप्रमाणित (Self Attested) प्रतियां** आवेदन पत्र में उल्लेखित क्रमानुसार संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3– **जन्मतिथि की सत्यता** हेतु जन्म प्रमाण–पत्र अथवा प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

4– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की **<u>अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र</u>** संलग्न करना आवश्यक होगा। (अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पश्चात् का संलग्न करना होगा।)

5– आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होने के संबंध में दिये गये निर्धारित प्रारूप में अपना **"शपथ–पत्र"** प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (शपथपत्र का निर्धारित प्रारूप आवेदन पत्र के साथ संलग्न है।) :–

(1) सामान्य एवं पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में 5/–रूपये या 5/–रूपये से अधिक के स्टाम्प पर, जो भी सुविधानुसार उपलब्ध हो, नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी को उपरोक्त शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में सादे कागज में नोटरी से सत्यापित कराकर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित निर्धारित शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा और किसी प्रकार का पत्राचार स्वीकार्य नहीं किया जायेगा।

(4) शपथ–पत्र में असत्य कथन करने पर आवेदक के विरूद्ध झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने के आधार पर उसके विरूद्ध किसी भी स्तर पर आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

6– कार्यानुभव के संबंध में नियोक्ता द्वारा जारी कार्यानुभव प्रमाण–पत्र की स्वप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा, ऐसा प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न नहीं किये जाने की स्थिति में कार्यानुभव हेतु अंक प्रदान नहीं किये जायेंगे।

7– **कोरियर, ई–मेल, फैक्स** के द्वारा प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व तथा निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा।

8– विज्ञापन का विस्तृत अवलोकन **जिला न्यायालय, बेमेतरा के वेबसाईट** **https://districts.ecourts.gov.in/bemetara** में किया जा सकता है तथा विज्ञापन में दिये आवेदन पत्र के प्रारूप का उपयोग डाउनलोड कर किया जा सकता है।

9– आवेदक, आवेदन पत्र पर अभिप्रमाणित **पासपोर्ट साईज का नवीनतम रंगीन फोटो** चस्पा करेगा।

10– आवेदन पत्र के साथ स्वंय का पूर्ण नाम एवं पूर्ण पता लिखे हुए दो लिफाफे पर पृथक–पृथक 5–5 रूपये का डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें। यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किये हुये लिफाफा संलग्न नहीं किया जाता है, तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जवाबदारी कार्यालय की नहीं होगी।

11– आवेदक, आवेदन पत्र का सम्पूर्ण इंद्राज **नीले बॉल पेन/डॉट पेन** से ही करेगा। अन्यथा आवेदन निरस्त किया जा सकेगा।

12– डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्रों के विलम्ब से प्राप्त होने या नहीं प्राप्त होने की जवाबदारी इस कार्यालय की नहीं होगी और उस संबंध में कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।

13– विज्ञापन में **निर्धारित प्रारूप में ही आवेदन पत्र स्वीकार** किये जायेंगे। प्रारूप से भिन्न आवेदन पत्र निरस्त किये जा सकते हैं।

14– **त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, अस्पष्ट एवं बिना हस्ताक्षर** आवेदन पत्र निरस्त माना जावेगा। जिसकी सूचना आवेदन को देने हेतु बाध्यता नहीं रहेगी।

5. नियुक्ति हेतु चयन विधि एवं प्रक्रिया

(i) नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :–

1– दक्षता/कौशल परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जावेगी और उक्त सूची के अनुसार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जायेगा। उपरोक्त पदों पर चयनित उम्मीदवार की प्रावीण्य सूची जारी की जायेगी एवं प्रतीक्षा सूची गोपनीय रखी जावेगी, जो अधिकत्तम एक वर्ष के लिए वैध होगी। यदि चयनित अभ्यर्थी, चयनित पद का कार्यभार ग्रहण करने के एक वर्ष के भीतर पद से त्यागपत्र देता है या उसे पद मुक्त कर दिया जाता है, मृत्यु या अन्य कारणों से उक्त पद रिक्त हो जाता है, तो उक्त पद को रिक्त मानते हुए गोपनीय प्रतीक्षा सूची में उल्लेखित अभ्यर्थी को उक्त पद हेतु न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.) के द्वारा नियुक्ति आदेश जारी किया जा सकेगा।

(टीप):– गोपनीय प्रतीक्षा सूची की जानकारी किसी भी स्थिति में किसी भी अभ्यर्थी या अन्य तीसरे व्यक्ति को तब तक नहीं दी जावेगी, जब तक कि भर्ती प्रक्रिया के बाद एक वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

2– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 13–4/2006/आ.प्र./1–3 दिनांक 29.06.2013 एवं परिपत्र क्रमांक एफ 13–22/2012/आ.प्र./1–3 दिनांक 24.09.2013 के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र एवं प्रारूप–(एक) के अनुसार शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय अंकसूची एवं प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति एंव स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

4– चयनित उम्मीदवार को इस आशय का घोषणा–पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरूद्ध कोई आपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी आपराधिक प्रकरण में दोष सिद्ध नहीं किया गया है।

5– चयनित अभ्यर्थियों को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही सेवा में लिया जावेगा।

6– चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराया जावेगा तथा विपरित प्रतिवेदन प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही किया जावेगा।

7– चयन हेतु अभ्यर्थी वरीयता सूची में समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्म तिथि के आधार पर वरीयता तय की जावेगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जावेगी। समान अंक, समान जन्मतिथि एवं समान

शैक्षणिक योग्यता होने की स्थिति में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर जिसका अंक ज्यादा होगा, उसे प्राथमिकता दी जावेगी।

8– यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई है, अत्एव नियुक्ति की निर्धारित शर्तों का पालन नहीं किये जाने पर किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकेगी। चयनित अभ्यर्थी को कलेक्टर, बेमेतरा द्वारा समय–समय पर निर्धारित कलेक्टर दर पर नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी नियुक्ति बिना किसी सूचना के किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

9– चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.) को होगा एवं कर्मचारियों की पदस्थापना तत्समय उपलब्ध पदों के आधार पर की जावेगी। पद स्थापना के संबंध में किसी प्रकार का अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति स्थल पर ही निवास करना आवश्यक होगा।

10– **चयन प्रक्रिया, चयन एवं नियुक्ति के संबंध में न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.) का निष्कर्ष अंतिम एवं बंधनकारी होगा। कोई अयोग्यता पाये जाने पर किसी भी स्तर पर चयन/नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।**

(ii) **नियुक्ति हेतु चयन विधि :–**

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन एवं माली) के पद हेतु :–

दक्षता/कौशल परीक्षा – 50 अंक

उक्त पद के लिए दक्षता/कौशल परीक्षा में अभ्यर्थी की उपयुक्तता/शारीरिक क्षमता/व्यवहारिकता एवं व्यक्तित्व तथा कार्य हेतु उनकी अभिरूचि के संबंध में परखा जायेगा।

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी, जिसकी सूचना जिला न्यायालय, बेमेतरा के वेबसाईट **https://districts.ecourts.gov.in/bemetara** पर पृथक से अपलोड की जावेगी।

अभ्यर्थियों की परीक्षा में सीमित करने के प्रयोजन से उनके कक्षा 5वीं के उच्च प्राप्तांक के आधार पर एवं जिन अभ्यर्थी के पास स्वीपर, वाटरमेन, फर्राश एवं माली के कार्य का अनुभव एवं अतिरिक्त योग्यता जैसे एल.एम.व्ही का वैध ड्रायविंग लाईसेंस, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, कुक, हाउस कीपिंग, राजमिस्त्री, धोबी, गार्ड के कार्य करने के अनुभव पर विचार करते हुए रिक्त पदों की वर्गवार 20 गुना आवेदकों को दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु

छंटनी की जा सकेगी। अनुभव प्रमाण–पत्र के साथ अन्य प्रमाण–पत्र जैसे वेतन विवरणी इत्यादि प्रस्तुत करना होगा।

<u>चयन सूची</u> :– दक्षता / कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उम्मीदवारों की मेरीट सूची तैयार की जायेगी, जिसके आधार पर चयन सूची के साथ गोपनीय प्रतीक्षा सूची भी तैयार किया जायेगा।

टीप :– **अभ्यर्थी आवेदन करते समय शपथ–पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनका अनुभव से संबंधित प्रस्तुत दस्तावेज सही है और यदि जांच में यह पाया जाता है कि उसने झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है, तो उसकी पात्रता बिना सूचना दिये समाप्त की जा सकेगी और झूठा शपथ–पत्र पेश करने का आपराधिक / दण्डात्मक कार्यवाही किया जा सकेगा।**

6. <u>अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी</u>

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिये निर्देशों तथा आवेदन पत्र में सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरें। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा। **<u>पदों हेतु निर्धारित योग्यता विज्ञापन तिथि तक पूर्ण होने चाहिए।</u>**

7. <u>अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं</u> :–

1– **विज्ञापित रिक्त पदों की नियुक्ति प्रक्रिया और नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के WPC NO. 591/2012, 592/2012, 593/2012, 594/2012 एवं माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत एस.एल.पी.(सी.) क्रमांक 19668/2022 में पारित किये जाने वाले अंतिम आदेश / निर्णय के अध्यधीन होगा।**

2– आवेदकों को प्रवेश पत्र अपलोड किये जाने की सूचना एवं दक्षता / कौशल परीक्षा की तिथि, समय एवं परीक्षा स्थल की सूचना जिला न्यायालय बेमेतरा के वेबसाईट **<u>https://districts.ecourts.gov.in/bemetara</u>** एवं सूचना–पटल के माध्यम से दी जावेगी।

3– जिला न्यायालय बेमेतरा के वेबसाईट <u>https://districts.ecourts.gov.in/bemetara</u> में से **पात्र आवेदक अपना प्रवेश पत्र** डाउनलोड कर आईडी प्रूफ (पहचान पत्र) जैसे पेनकार्ड / आधार कार्ड / मतदान परिचय पत्र / स्मार्ट कार्ड एवं अपना अर्हता से संबंधित मूल दस्तावेजों सहित निर्धारित दिनांक एवं समय पर दक्षता / कौशल परीक्षा

हेतु उपस्थित होंगे। **किसी भी आवेदक को अन्य किसी भी रूप से दक्षता/कौशल परीक्षा हेतु सूचना/प्रवेश पत्र/बुलावा पत्र पृथक से नहीं भेजा जावेगा, इस संबंध में कोई पत्राचार ग्राह्य नहीं होगा।**

4— दक्षता/कौशल परीक्षा के लिये अभ्यर्थी को स्वंय के व्यय पर परीक्षा केन्द्र में प्रवेश पत्र में अंकित निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित होना होगा। इसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का व्यय नहीं दिया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या अधिक होने की स्थिति में परीक्षा एक से अधिक पाली में ली जा सकती है।

सही/—
अध्यक्ष
चयन समिति
कुटुम्ब न्यायालय, बेमेतरा (छ.ग.)

True copy
14/06/2023
न्यायाधीश
परिवार न्यायालय
बेमेतरा (छ.ग.)

<u>आवेदन पत्र का प्रारूप</u>

आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी (वाटरमेन, माली) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु

अभ्यर्थी का स्वहस्ताक्षरित, नवीनतम, रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो

प्रति,

न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,

बेमेतरा (छग.)

1. आवेदित पद का नाम – ....

2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) – ....

   (अंग्रेजी ब्लॉक लेटर्स में) – ....

3. लिंग – पुरूष .... महिला .... अंकित करें

4. राष्ट्रीयता – ....

5. पिता/पति का नाम – ....

6. अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता – ....

   ....

   ....

   ब) स्थायी पता – ....

   ....

   ....

7. मोबाईल नंबर – ....

8. अ) जन्म तिथि – अंकों में ....

   शब्दों में ....

   ब) दिनांक 01/01/2023 को आयु – वर्ष .... माह .... दिन ....

9. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है? हॉ/नहीं ....

   (यदि हॉ, तो प्रमाण–पत्र संलग्न करें)

10. क्या आवेदक छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति /अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हॉ/नहीं ....
(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी सत्यापित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

11. अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग अंकित करें। ....

12. क्या आवेदक निःशक्त है? हॉ/नहीं ....
(यदि हॉ, तो निःशक्तता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

13. दिव्यांगता का प्रकार एवं प्रतिशत – ....

14. क्या आवेदक भूतर्पूव सैनिक है? हॉ/नहीं ....
(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सत्यापित प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)

15. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन कमांक एवं दिनांक – ....

....

16. रोजगार कार्यालय का नाम – ....

17. क्या अभ्यर्थी विवाहित है – ....
(यदि विवाहित है तो विवाह की तिथि) – ....

18. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यताः– (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें)

क.	परीक्षा का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	बोर्ड/वि.वि. का नाम	विषय	प्राप्तांक/पूर्णांक	प्रतिशत

19. कार्यानुभव विवरण (प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रति यदि कोई हो, तो संलग्न करें)

क्र.	पद का नाम	संस्था का नाम	प्रथम नियुक्ति दिनांक	कुल वर्ष	रिमार्क

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्द्धशसकीय संस्था में सेवारत है? हॉ/नहीं ....
(यदि हॉ, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

21. क्या आप निर्धारित आयु सीमा में छूट चाहते हैं? हॉ/नहीं ....

22. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूचीः–

1. .... 2..

3. .... 4..

5. .... 6..

7. .... 8..

टीप – स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जायेंगे।
बिना हस्ताक्षर के प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

<u>घोषणा पत्र</u>

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये समस्त जानकारी मेरी व्यक्तिगत ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार पूर्ण एवं सत्य है। मैंने अपनी उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति चयन प्रक्रिया अथवा नियुक्ति उपरोक्त किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

आवेदक का हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता एवं मोबाईल नं.

....

शपथ पत्र का प्रारूप

//शपथ पत्र//

मैं (शपथकर्ता का नाम) ....पता/पति..

जन्मतिथि ....वर्ग............................निवासी ....जिला..................................

का हूँ। कुटुम्ब न्यायालय बेमेतरा की स्थापना द्वारा जारी किये गये विज्ञापन क्रमांक–01/2023 में आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों पर भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन–पत्र के संबंध में निम्नानुसार शपथपूर्वक कथन करता/करती हूँ :–

1. यह कि मेरी शैक्षणिक योग्यता केवल आठवीं कक्षा उत्तीर्ण है। आठवीं से अधिक (उच्च योग्यता) मेरी शैक्षणिक योग्यता नहीं है।
2. मेरी आठवीं के अंकसूची में मेरा...................................... अथवा.................................... ग्रेड अथवा ....सी.जी.पी.ए. है।
3. यह कि मैं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के पदों की भर्ती हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी/व्यवसायिक योग्यता एवं कार्यानुभव के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रस्तुत किया हूँ एवं मेरे द्वारा कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई है।
4. यह कि उपरोक्त जानकारी अपूर्ण अथवा असत्य पाये जाने पर मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति किसी भी समय समाप्त/निरस्त की जा सकेगी एवं मेरे विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकेगी, जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा/रहूंगी।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :–

<u>सत्यापन</u>

मैं एतद्द्वारा यह शपथ करता/करती हूँ कि उपरोक्त बिंदु क्रमांक 1 से 4 तक में दी गई समस्त जानकारी मेरे व्यक्तिगत ज्ञान के अनुसार पूर्ण सत्य एवं सही है।

स्थान :–

दिनांक :–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर

नाम :–

<u>नोट :–</u> **शपथ पत्र नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर प्रस्तुत करें। शैक्षणिक योग्यता का सत्यापन शैक्षणिक संस्थानों में कराया जाएगा। यदि शपथ–पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्यापन उपरांत या अन्य किसी स्तर पर असत्य पाये जाते हैं, तब असत्य शपथ–पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।**